राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : **अतारांकित**

प्रश्न संख्या : 199

दिनांक : 26.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम : **श्री ओम प्रकाश शर्मा**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना दिल्ली में लागू है ।
ख)	इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आबंटित की गई; और	केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए आबंटित राशि निम्नलिखित हैः– 2018–20 • रूपये 17,25,59,000/–वित्तीय वर्ष 2017–18 में जारी परन्तु 2018–19 में उपयोग की गई । • अतिरिक्त अनुदान राशि 2018–19 रूपये 5,37,75,000/– • 2019–20 रूपये 5,37,59,000/– केन्द्र सरकार द्वारा योजना के लिए कुल अनुदान राशि रूपये 28,00,93,000/– है ।
ग)	यह राशि किस–किस श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं को और कितनी–कितनी उपलब्ध कराई जानी थी ?	योजना के अनुसार केवल प्रथम शिशु हेतु लाभार्थी महिला को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :– • रूपये 1000/– पहली किस्त (अंतिम मासिक चक्र से 150 दिन के भीतर योजना में पंजीकरण के बाद) • रूपये 2000/– दूसरी किस्त (6 माह के भीतर कम से कम एक प्रसूति पूर्व जांच) • रूपये 2000/– तीसरी किस्त (शिशु के जन्म का पंजीकरण एवं टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद)

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

SANJEEV KHIRWAR, IAS
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi